**जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम जिला .......**

उपभोक्ता परिवाद सं० सन् .........

........ पुत्र श्री ............. निवासी मकान सं० ............. मौहल्ला/कालौनी नगर/गाँव

............. थाना ............ जिला ............ परिवादी

**बनाम**

1. मैसर्स ............ द्वारा स्वामी/प्रबन्धक श्री ............ डीलर/व्यापारी/विक्रेता

2. मैसर्स ............ द्वारा प्रबन्ध निदेशक ............ निर्माता ............ विपक्षीगण

माननीय अध्यक्ष एवं साथी सदस्यगण,

परिवादी निम्न निवेदन करता है :

1. यह कि परिवादी ने विपक्षी सं० 2 के डीलर/व्यापारी विपक्षी सं० 1 से एक स्कूटर/कार/अन्य वाहन दिनाँक ............ को ............. रु० में क्रय की थी जिसका विपक्षी सं० 1 ने पंजीकरण सं० ............. दिनाँक ............. को कराकर दिया था तथा ............ वर्ष की गारन्टी के साथ गारन्टी/वारन्टी कार्ड हस्ताक्षर करके दिया था।
2. यह कि उक्त वाहन लगभग ............ दिन ही चलने के पश्चात् अत्यधिक असहनीय ध्वनि करने लगा तो परिवादी ने विपक्षी स० 1 से ध्वनि दोष के सम्बन्ध में सम्पर्क किया तो बताया कि प्रथम सेवा पर ध्वनि दोष दूर कर दिया जायेगा।
3. यह कि दिनाँक ............ को विपक्षी सं० 1 के द्वारा बताये विपक्षी सं० 2 के सेवा केन्द्र स्थित ............ पर वाहन की प्रथम सेवा कराई-सेवा केन्द्र के अभियन्ता (यान्त्रिक) ने बताया कि ध्वनि दोष दूर कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में सेवा पत्रक पर अंकन भी किया।
4. यह कि प्रथम सेवा के अगले दिन से ही वाहन ने पूर्व की भाँति अत्यधिक असहनीय ध्वनि करना आरम्भ कर दिया । परिवादी ने दिनांक ............ को उक्त सेवा केन्द्र पर जाकर अभियन्ता (यान्त्रिक) से ध्वनि दोष की पन: शिकायत की तो अभियन्ता यान्त्रिक ने ध्वनि दोष दूर करने का प्रयास किया किन्तु असफल रहा और इस सम्बन्ध में सेवा पत्रक पर अंकन करके कहा कि निर्माण दोष है व विपक्षी स० 1 के अभियन्ता दिनाँक ............ को उनके सेवा केन्द्र पर आ रहे हैं, उस दिन आकर वाहन उनको दिखाना।
5. यह कि बताई गई दिनांक ............ को परिवादी अपना वाहन उक्त सेवा केन्द्र पर लेकर का विपक्षी सं02 के अभियन्ता ने वाहन की जाँच कराई किन्तु ध्वनि दोष दूर करने में सब असफल ९और इस सम्बन्ध में सेवा पत्रक पर अंकन किया। विपक्षी सं02 के अभियन्ता ने 15 दिवस में

न बदल देने का विश्वास दिलाया। वाहन क्रय करने की रसीद पंजीकरण प्रमाण पत्र व सेवा पत्रक की प्रतियाँ संलग्न की जा रही हैं।

1. यह कि विश्वास दिलाने के पश्चात् लगभग तीन माह हो चुके हैं किन्तु विपक्षीगण ने हन नहीं बदला-वाहन में निर्माण दोष रहा है-ध्वनि दोष को विपक्षीगण दूर करने में असफल ह है--सेवा में कमी है-परिवादी को निरन्तर आर्थिक, मानसिक व शारीरिक कष्ट पहुँच रहा -परिवादी विपक्षीगण से वाहन का मल्य मय ब्याज अथवा नया दोष रहित वाहन मय नई वारन्टी, कार व वाद का व्यय पाने का अधिकारी है जिसका कारण फोल्प के क्षेत्रीय व घनीय क्षेत्राधिकार.में उत्पन्न हआ है।

अत: प्रार्थना है कि विपक्षीगण को निर्देश दिया जावे कि वे परिवादी को नया दोषरहित वाहन मय नई वारन्टी बदल कर दें अथवा वाहन का मूल्य ............ मय 18% वार्षिक ब्याज क्रय की दिनाँक से भगतान की दिनाँक तक का, ............ रु० प्रतिकार तथा ............ रु० परिवाद का व्यय भुगतान करें।

**दिनाँक......**

**परिवादी . ..........**

**(नाम)**

**हस्ताक्षर..........**

**शनाख्त अधिवक्ता श्री ....**

मैं परिवादी सत्यापित करता हूँ कि परिवाद पत्र के प्रस्तर ......... से ............ तक के तथ्य मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सत्य है। कोई तथ्य न छिपाया है और न कोई असत्य है।

**दिनाँक....**

**स्थान.....**

**घोषक/परिवादी**

**ह०......**

**शनाख्न अधिवक्ता श्री ......**